1

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई :— 10.300 किमी0।

जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 1697/पी3–14/यू0आर0आर0डी0ए0/13 दिनांक 10.09.2013 द्वारा 10.300 किमी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जाना है।

यह मार्ग बरकिन्डा–मानिला–डोटियाल मोटर मार्ग के किमी0 13 से प्रारम्भ होकर मलिहारी तक जाता है। यह मार्ग पूर्ण लम्बाई में वन पंचायत, सिविल भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है।

इस मार्ग के निर्माण से ग्राम सभा सनड़ा, नाहड़ा, कुम्हना, दियोली एवं मलिहारी की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 9.00 मी0 चौड़ाई तथा 10.300 किमी0 लम्बाई में वन पंचायत, सिविल भूमि एवं नाप भूमि आती है।

मार्ग निर्माण 7.00 मी0 की चौड़ाई में किया जायेगा। समरेखन में पड़ने वाली भूमि सिविल भूमि 3.806 है0 में कोई वृक्ष प्रभावित नही हो रहा है, जिसके प्रस्ताव गठित कर जिलाधिकारी महोदय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। मार्ग समरेखन में वन पंचायत 0.480 है0 एवं नापभूमि 4.984 है0 आ रही है। चूँकि समस्त ग्रामवासियों के साथ विचार–विमर्श कर एवं पेड़ों की संख्या न्यूनतम रखते हुए क्षेत्र की जनता को अधिकतम लाभ देते हुए एवं क्षेत्रवासियों की जनता मांगानुसार यह समरेखन तैयार किया गया है। जिस पर पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान एवं क्षेत्रवासियों को कोई आपत्ति न होने के कारण इस संरेखन से अच्छा कोई विकल्प नही होने के कारण संरेखन पर सहमति बनी है। चूँकि मार्ग पहाड़ी उबड़–खाबड़ स्थलों से गुजरता है एवं वन भूमि का उपयोग में लाये बगैर मार्ग को केवल अन्य भूमि से निर्मित कर ले जाना प्राकृतिक अनुसार सम्भव नही है।

अतः प्रस्ताव पुनः प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि
सल्ट (अल्मोड़ा)